

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक 26-03-2021

-: आदेश :-

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. लोहरा, लोकायुक्त, राजस्थान जयपुर को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (सेवा शर्त) नियम 1974 के नियम 12 (1) एवं 13 तथा इस विभाग के अधिसूचना संख्या प.1 (77)जीए-11/55 दिनांक 5.9.2005 की अनुपालना में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 1/46 गांधीनगर, जयपुर का उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. लोहरा, लोकायुक्त, राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव (जी.बी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ21001300 दिनांक 26.03.2021 के क्रम में।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर जयपुर ।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन ग्रुप-4 विभाग, जयपुर।
15. समस्त अनुभाग (सामान्य प्रशासन ग्रुप -1,3,5 एवं ,6)
16. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव